भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3681
बुधवार, 5 अप्रैल, 2023 (15 चैत्र, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

सहारा सहकारी समितियों में संचित धन का कोष

3681 श्री सुशील कुमार मोदीः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक सहारा से संबंधित सहकारी समितियों के नाम और उनमें जमा की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) सहारा सहकारी समितियों में ऐसे निवेशकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक निवेश का प्रतिदाय नहीं मिला है;
(ग) विगत पांच वर्षों में प्राप्त आवेदनों और खाते के संबंध में निवेशकों द्वारा किए गए दावों की संख्या कितनी है;
(घ) मार्च 2023 तक इन निवेशकों को पुनर्भुगतान करने के लिए खाते से कितनी धनराशि पहले प्रयोग में ली जा चुकी है;
(ङ) क्या सरकार चार सहारा सहकारी समितियों से जुड़े निवेशकों को चुकाने के लिए अप्रयुक्त निधियों का उपयोग करने की योजना बना रही है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार निवेशकों को निर्बाध धनवापसी सुनिश्चित करने के लिए चार सहकारी समितियों को बंद करने पर विचार कर रही है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (च): सहारा से संबंधित चार बहुराज्य सहकारी समितियां, अर्थात सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि.; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. का पंजीकरण बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अधीन मार्च 2010 से जनवरी 2014 के दौरान हुआ था । सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक (सीआरसीएस) के कार्यालय में इन समितियों के सदस्यों/जमाकर्ताओं की जमाराशियों के भुगतान न करने से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई थी । इन समितियों को नोटिस जारी किए गए थे और सीआरसीएस के समक्ष सुनवाई आयोजित की गई थी ।

सुनवाइयों के दौरान यह उजागर हुआ कि इन समितियों ने लगभग 10 करोड़ निवेशकों से 86,673 करोड़ रुपए की धनराशि का संचयी रूप से एकत्रण किया है । सीआरसीएस ने समितियों को जमाकर्ताओं की बकाया राशि का भुगतान करने का निदेश दिया और उन्हें नई जमाराशियां लेने और मौजूदा जमाराशि का नवीनीकरण करने से प्रतिबंधित कर दिया । सीआरसीएस के उक्त आदेशों को सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि.; और हमारा

इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष तथा स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । उच्च न्यायालयों ने सीआरसीएस के आदेशों को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी । तत्पश्चात्, सीआरसीएस कार्यालय द्वारा इस मामले को आगे बढ़ाया गया और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.03.2022 के अपने आदेश के माध्यम से रोक को आंशिक रूप से हटाते हुए सीआरसीएस के आदेशों को पुनर्बहाल करते हुए याचिकाकर्ता-समितियों को आगे और जमाराशि एकत्र न करने का निदेश दिया । दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशानुसार सीआरसीएस द्वारा लगभग 1.22 लाख डिजिटलीकृत दावों को तीनों सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि.; और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) को सत्यापन और भुगतान के लिए भेजा गया परंतु समितियों ने न तो उचित जवाब दिया और न ही जमाकर्ताओं को किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रदान किया । इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट दाखिल की गई ।

इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक स्थानांतरण याचिका दायर की गई जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 20.03.2023 के आदेश के माध्यम से दोनों उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया कि वे उनके समक्ष लम्बित मामलों पर शीघ्रता के साथ और आदेश की प्राप्ति से छह माह अंदर निर्णय लेते हुए उनका निपटान करें ।

इसके अतिरिक्त सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका 191/2022 (पिनाक पानी मोहंती बनाम् भारत संघ एवं अन्य) में दायर की गई अंतर्वर्ती आवेदन (इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन) सं. 56308/2023 में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को आदेश दिया कि:

i. "सहारा-सेबी रीफंड खाता" में जमा 24,075 करोड़ रुपए में से सीआरसीएस को 5000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया जाए, जो आगे इस राशि को सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों के वैध बकाए के लिए संवितरित करेगा, जिसका भुगतान प्रामाणिक जमाकर्ताओं को अत्यंत पारदर्शी तरीके से और उचित पहचान व उनकी जमाराशियों और उनके दावों के साक्ष्य जमा करने पर उनके संबंधित बैंक खातों में सीधे जमा कराया जाएगा ।

ii. संवितरण का पर्यवेक्षण व निगरानी न्यायाधीश आर.सुभाष रेड्डी द्वारा श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र (एमिकस क्यूरी) की सहायता से किया जाएगा । न्यायाधीश आर.सुभाष रेड्डी, इस न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति और श्री गौरव अग्रवाल, विद्वान अधिवक्ता के परामर्श से सहकारी समितियों के केन्द्रीय पंजीयक द्वारा भुगतान की रीति व तौर-तरीके तैयार किए जाएंगे ।

iii. 5,000 करोड़ रुपए की उपर्युक्त धनराशि में से सहारा समूह की सहकारी समितियों के संबंधित प्रामाणिक जमाकर्ताओं को राशि का भुगतान, शीघ्रतापूर्वक परंतु आज की तारीख से नौ महीने अंदर समय में किया जाए । तत्पश्चात्, शेष राशि को पुन: "सहारा-सेबी रीफंड खाता" में हस्तांतरित किया जाए ।

******